

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०-०८/ज०सं०(नि०) ल०सि०- 43/2001/राँची, दिनांक
आदेश

श्री चन्द्र देव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, देवघर के पद पर पदस्थापन अवधि में देवघर जिला अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम के तहत कूप निर्माण हेतु आवंटित गेहूँ के हेराफेरी / गबन के लिए श्री साह के विरुद्ध देवघर थाना काण्ड सं०-४३२/९१ दर्ज किया गया।

आरक्षी अधीक्षक, देवघर के पत्रांक- 1260 दिनांक- 19.06.1994 के प्रस्ताव, प्राथमिकी, काण्ड दैनिकी एवं अभिलेखों के परिशोधन के बाद विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1895 दिनांक- 12.05.2005 द्वारा देवघर थाना काण्ड सं०-४३२/९१ दिनांक- 26.12.1991 के नामजद अभियुक्त श्री चन्द्रदेव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई, देवघर के विरुद्ध भा०द०सं०(1860) के अधिनियम सं०-४५ की धारा- 409/408/420/467/465/468 के अधीन अपराधों के लिए श्री साह के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया गया।

उक्त थाना काण्ड सं०- 432/91 से संबंधित G.R.Case No. 1785 of 1991/Tr. Register No. 581 of 2015 में Learned Court of Judicial Magistrate 1st class Deoghar द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक- 08.05.2015 में श्री चन्द्र देव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषमुक्त किया गया।

समीक्षा के क्रम में उक्त न्याय निर्णय को चुनौती दिये जाने के संबंध में उपायुक्त, देवघर से मंतव्य का माँग किया गया। उपायुक्त, देवघर द्वारा सहायक लोक अभियोजक, देवघर का पत्रांक- 9069 दिनांक- 20.07.2019 की प्रति उपलब्ध कराया गया, जिरागें प्रतिवेदित किया गया कि साक्षी के साक्ष्य को अपुष्ट मानकर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को रिहा किया गया है। निचली अदालत के न्याय निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देना असफल प्रयास होगा।

समीक्षोपरान्त चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा श्री चन्द्र देव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषमुक्त किया गया एवं सहायक लोक अभियोजक, देवघर द्वारा भी निचली अदालत के न्याय निर्णय (साक्ष्य के अभाव में) को ऊपरी अदालत में चुनौती योग्य नहीं माना गया है। अतएव माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री चन्द्र देव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : १२६२ राँची/दिनांक २४/५/१९

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशास्त्रा-३, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, देवघर/श्री चन्द्र देव साह, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत ग्राम-किशनपुर, थाना-चतरा, जिला-चतरा (झारखण्ड) /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव